तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
03.03.2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री वी0पी0सिंह, अभिभाषक अपीलांट श्री हगामीलाल चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट **आदेश** 1. हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–4–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2. अपील ज्ञापन के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को ग्राम रजवास स्थित आराजी खसरा नंबर 807 रकबा 18 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 23–10–77 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया। जिस पर अपीलांट को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके। उक्त आवंटन के विरूद्ध रेस्पोडेंट सं.1 से 6 के पिता एवं पति ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राज0 कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक के यहां प्रस्तुत कर अपीलांट का आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया। जिला कलेक्टर ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 11–3–96 को स्वीकार कर अपीलांट का आवंटन निरस्त कर दिया। साथ ही रेस्पोडेंट सं.1 से 6 के पिता/पति स्व0 लादू को दिनांक 18–8–71 को किया गया आवंटन भी सुमोटों निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट एवं रेस्पोडेंट ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30–4–04 द्वारा अपील अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस् ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम, विधि एवं रिकार्ड के विपरीत है। अपीलार्थी के पक्ष में हुआ आवंटन पश्चातवर्ती आवंटन होने के कारण खारिज किया गया। जबकि स्व0लादू रेस्पोडेंट के पति/पिता का आवंटन नियम विरूद्ध था। लादू ने आवंटन छल–कपट से करवाया था। रेस्पोडेंट का आवंटन निरस्त होने की स्थिति में अपीलार्थी का आवंटन वैद्य हो जाता है। रेस्पोडेंट के पक्ष में कोई नामांतरकरण तस्दीक नहीं हुआ जबकि अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार मिल चुके थे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	अपीलार्थी अनुसूचित जाति का चयनित व्यक्ति है तथा भूमिहीन है, जिसे दिनांक 23–10–77 को किया गया आवंटन वैध है। वर्तमान स्थिति में भी लादू का आवंटन निरस्त हो जाने से उक्त भूमि अन–ओक्यूपाईड भूमि है। कानूनी तकनीकियों की आड में आपीलांट का आवंटन निरस्त किया गया है। जबकि धारा 183 बी के तहत कार्यवाहीं की जाकर रेस्पोडेंट को विवादित आराजी से बेदखल कर अपीलार्थी को विवादित आराजी का कब्जा सुपुर्द किया गया है। अपीलार्थी विवादित आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिजकाश्त चला आ रहा है। सिर्फ पश्चातवर्ती आवंटन होने से अपीलार्थी का आवंटन अवैध नहीं हो जाता। विशेषकर अपीलार्थी जब आवंटन की समस्त शर्तों की पूर्ति करता हो तथा अपीलार्थी द्वारा आवंटन छल–कपट द्वारा नहीं करवाया गया है। अपीलांट का आवंटन विधिवत तौर से भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। आवंटन के पश्चात् से विवादित आराजी पर अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना नहीं की है। किंतु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये अपीलांट का विधिवत आवंटन निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किया जावे। 4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स का कथन है कि अपीलार्थी का आवंटन वर्ष 1977 का है जबकि विवादित आराजी लादू का दिनांक 18–8–71 को आवंटित हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी आवंटन योग्य नहीं थी। अपीलार्थी को आवंटन करने से पहले पूर्व आवंटन निरस्त किया जाना चाहिये था। ऐसी स्थिति में ही उसका आवंटन निरस्त किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। 5. अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। 6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि खसरा नंबर 807 में से रकबा 18 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 23–10–77 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलार्थी को किया गया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंट द्वारा नियम 14(4) राज0 कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक के यहां शिकायत करने पर अपीलार्थी का आवंटन खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय से खारिज किये जाने की स्थिति में यह अपील मंडल में पेश की गई है। अपीलार्थी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 18–8–1971 को खसरा नंबर 1383 में से रकबा 5 बीघा का आवंटन किया जाकर कब्जा दिनांक 25–10–71 को जगन्नाथ अपीलार्थी को मौके पर दिया गया। इसके बाद अपीलार्थी जगन्नाथ को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 23–10–77 को खसरा नंबर 807 में से 18 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया। दिनांक 18–8–71 को ही भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खसरा नंबर 807 में रकबा 17 बिस्वा कुए को छोडकर रेस्पोडेंट लादू पुत्र जगन्नाथ जाट को आवंटन किया गया। इस तरह खसरा नंबर 807 का दुबारा आवंटन किया जाना प्रकट होता है। पूर्व आवंटन को निरस्त किये बिना उसी आराजी खसरा नंबर का आवंटन नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी जगन्नाथ रेगर को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 23–10–77 को किये गये पश्चातवर्ती आवंटन को गलत माना है। अपीलांट जगन्नाथ को विवादित आराजी का पश्चातवर्ती आवंटन विधिसम्मत् नहीं होना मानते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलांट का आवंटन एवं अपील निरस्त की है। जिला कलेक्टर टोंक ने रेस्पोडेंट के पिता/पति लादू का आवंटन आदेश दिनांक 18–8–71 से भूमिहीन कृषक की परिभाषा में नहीं आने से अपात्र मानते हुये उसका आवंटन सुओमोटो खारिज किया है तथा वादग्रस्त आराजी का सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये है। हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य साबित करने में विफल रहे है, जिससे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जा सके। हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। 7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य होने से अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति के लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	